न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 19/406

1. कालू लाल
2. देवीलाल आत्मज रामा ।
3. नन्दू बाई
4. रामदेव
5. रतन
6. मोती
7. सजना पिसरान लाली बाई जाति मेघवंशी निवासीगण धाकडखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री विनित अग्रवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 29.11.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.09.2019 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत वादपत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम आरामपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में आराजी गत खसरा नम्बर 149 रकबा 02 बीघा जिसके वर्तमान नये खसरा नम्बर 365 रकबा 0.26 हैक्टर हैं । उक्त भूमि वादीगण के पिता/नाना स्व0 रामा जी के खाते व कब्जे काश्त की भूमि है । उक्त भूमि के सेटलमेंट विभाग ने उसका नया खसरा नम्बर 365 रकबा 0.26 हैक्टर दर्ज कर दिया है जो कि गत रकबा से 0.06 हैक्टर कम है क्योंकि 02 बीघा के नया रकबा 0.32 हैक्टर दर्ज होना

चाहिए । सेटलमेंट विभाग ने बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति व स्वीकृति, के बिना उक्त रकबे में की दर्ज की है । सेटलमेंट विभाग को गत प्रविष्टि के अनुसार ही वर्तमान में प्रविष्टियॉ दर्ज करनी चाहिए थी । वादीगण कम 3, 5, 6 व 7 ने अपने हिस्से की आराजी को जरिये रजिस्टर्ड रिलीज डीड दिनांक 10.08.2010 को वादी कम 1 के हक में त्याग कर दिया है और उसे अपने हिस्से का मालिक बना दिया है । वादी कम 1 उक्त रिलीज डीड के आधार पर स्वयं को खातेदार घोषित कराने का अधिकारी है ।

3. अतः आराजी खसरा नम्बर 149 रकबा 02 बीघा के अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 365 का रकबा 0.26 हैक्टर के स्थान पर 0.32 हैक्टर वादीगण के खाते में दर्ज कर दुरूस्ती की जावे तदनुसार वादीगण को 0.32 हैक्टर का को खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण की जाति चमार के स्थान पर मेघवाल दर्ज की जावे ।

4. प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार लाडपुरा द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.09.2013 के द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.09.2013 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की जिसमें न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 25.06.2014 के द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड कर दिया ।

6. न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.06.2014 की पालना में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में पुनः दर्ज रजिस्टर करते हुए अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.09.2019 के द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 04.09.2019 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य व कानूनी नजीरों का सही रूप से विवेचन न कर मात्र कयास के आधार पर निर्णय व डिक्री पारित की है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं0 02 इस आधार पर निर्णित की है कि वादग्रस्त आराजी का अभी तक विभाजन नहीं हुआ है तथा रिलीज डीड दिनांक 10.08.2010 में रामा के वारिसान में से देवीलाल द्वारा कोई सहमति नहीं दी गई है । वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में रामा के सभी पुत्र पुत्रियों को बहैसियत वादीगण पक्षकार बनाया गया है अपने अपने वाद में कथन किया है कि अपने हिस्से की आराजी का हक त्याग वादी के पक्ष में कर दिया है । वादग्रस्त आराजी के शेष हिस्सेदार बहैसियत वादी पक्षकार हैं । जिन वादीगण ने अपनी इच्छा से कालूलाल के पक्ष में अपने हिस्से का हक त्याग करते हुए रजिस्टर्ड रिलीज डीड निष्पादित की है उसके बारे में वादी कम 02 देवीलाल व वादी कम 04 रामदेव की सहमति की आवश्यक नहीं है । सेटलमेंट विभाग को वादीगण के खाते की आराजी कम करने का कोई अधिकार नहीं है । वादीगण ने अपने जाति के समर्थन में जाति प्रमाण पत्र भी पेश किया है जिसके अनुसार दुरूस्ती किया जाना उचित है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.09.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी गत खरा नम्बर 149 की रकबा 02 बीघा जिसमें वर्तमान खसरा नम्बर 365 रकबा 0.26 हैक्टर कायम किये गये हैं । भू–प्रबन्ध विभाग ने बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व आदेश के जमाबन्दी गत खसरा नम्बर 149 रकबा 02 बीघा के स्थान पर खसरा नम्बर 365 रकबा 0.26 हैक्टर दर्ज कर वादीगण के खाते में 0.06 हैक्टर आराजी कम दर्ज कर दी । वादीगण के नाम के आगे सहवन से मेघवाल के स्थान पर चमार दर्ज कर दिया । वादीगण क्रम 2, 5, 6 व 7 ने अपने हिस्से की आराजी को जरिये रजिस्टर्ड रिलीज डीड दिनांक 10.08.2010 के आधार पर वादी क्रम 01 कालूलाल के पक्ष में रिलीज डीड किया है जिसे वादी के हिस्से में दर्ज किया जाना अनिवार्य है । यह हिस्सा वादी कालू लाल के हिस्से में दर्ज नहीं किया गया है, जिस पर उक्त हेतु धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिया गया व रिलीज डीड का हिस्सा वादी क्रम 01 के नाम दर्ज करने की प्रार्थना भी की गई थी । प्रतिवादी के द्वारा वाद के तथ्यों को स्वीकार करते हुए जवाबदावा पेश किया है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई । 05 तनकीयात कायम की गई थी । वादी के द्वारा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश की थी और अपने दावे को सिद्ध किया था । अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करते हुए वाद वादीगण खारिज किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य और कानूनी नजीरों की विवेचना नहीं की है । सेटलमेंट विभाग को वादीगण के खाते की आराजी कम करने का कोई अधिकार नहीं है । वादीगण के खाते की दुरूस्ती की जाकर उसका रकबा 0.32 हैक्टर किया जाना अनिवार्य है । साथ ही रिलीज डीड के अनुसार कालूलाल का हिस्सा दर्ज किया जाना व जाति के अंकन को संशोधित किया जाना भी आवश्यक है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.09.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादीगण के द्वारा यह सिद्ध नहीं किया है कि इनके खाते की आराजी कम की जाकर किस खाते में दर्ज की गई है । वादी को अपना दावा स्वयं सिद्ध करना होता है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.09.2019 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण की ओर से दस्तावेजात में रिलीज डीड की फोटो प्रति प्रदर्श–1 संलग्न की है, नोटिस अन्तर्गत धारा 80 सीपीसी प्रदर्श–3, डाक विभाग की रसीदें प्रदर्श– 4, नकल जमाबन्दी संवत् 2016–24 प्रदर्श– 5 संलग्न की है जिसके अनुसार रामा वल्द बिरधा के खाते में खसरा नम्बर 149 की रकबा 02 बीघा भूमि दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2065–68 प्रदर्श – 6 संलग्न है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 84 में खसरा नम्बर 365 रकबा 0.26 हैक्टर भूमि रामा वल्द बिरधा के खाते में दर्ज है जिस पर नामान्तरकरण संख्या 162 दिनांक 06.04.2009 का नोट अंकित है जिसके अनुसार मृतक रामा के बजाय कालूलाल, देवीलाल पुत्र नन्दूबाई पुत्री रामा हिस्सा 3/4, रामदेव रतन, मोती पुत्रान सजना पुत्री लाली बाई हिस्सा 1/4 से नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई । नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श – 7 संलग्न है, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श – 8 संलग्न है । जाति प्रमाण पत्र की

फोटो प्रति प्रदर्श– 9 ए संलग्न है । इसके अलावा पत्रावली पर तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 16.05.2011, पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 08.05.2011 भी पेश की गई हैं ।

12. वादी की ओर से बयान कालू लाल पीडब्ल्यू–1, रामभरोस पीडब्ल्यू–2 कराये गये हैं ।

13. अधीनस्थ न्यायालय में दावा वादीगण कालूलाल, देवीलाल, नन्दूबाई, रामदेव, रतन, मोती एवं सजना की ओर से सरकार के खिलाफ पेश की गई है । दावे में वादी क्रम 01 कालूलाल के अंगूठा निशानी व वादी क्रम 02 देवीलाल के हस्ताक्षर हैं अन्य वादीगण के हस्ताक्षर नहीं हैं । साथ ही वादीगण की ओर से जो वकालतनामा पेश किया गया है उसमें भी वादी क्रम 01 कालूलाल के अंगूठा निशानी व देवीलाल के हस्ताक्षर हैं अन्य वादीगण के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी नहीं है । ऐसी स्थिति में दावा वादी क्रम 01 और 02 की ओर से पेश किया गया माना जावेगा । शेष वादीगण की ओर से पेश किया गया नहीं माना जावेगा ।

14. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि पत्रावली में जो रिलीज डीड की प्रति संलग्न की गई है यह रिलीज डीड नन्दूबाई पुत्री रामा, रतन, मोती, सजना पिसरान लाली बाई के द्वारा निष्पादित की गई है । ऐसी स्थिति में उनको यदि वादी की हैसियत से पक्षकार बनाया गया है जो उनके दावे एवं वकालतनामा पर हस्ताक्षर होना अनिवार्य था अन्यथा उन्हें बहैसियत प्रतिवादी पक्षकार बनाया जा सकता था । इसी प्रकार अपील जो इस न्यायालय में पेश की गई है वो अपील मेमो के साथ पेश की गई है और अपील मेमो में कालूलाल की अंगूठा निशानी है । शेष वादीगण के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी नहीं है । इन तथ्यों के आधार पर दावा वादी एवं अपील अपीलान्ट मेन्टेनेबल नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी खारिज करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.09.2019 बहाल रखा जाता है ।

16. निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29/11/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 19/406

1. कालू लाल
2. देवीलाल आत्मज रामा ।
3. नन्दू बाई
4. रामदेव
5. रतन
6. मोती
7. सजना पिसरान लाली बाई जाति मेघवंशी निवासीगण धाकडखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.09.2019 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा ।

वाद संख्याः 239/दावा/2014

1. कालू लाल
2. देवीलाल आत्मज रामा ।
3. नन्दू बाई
4. रामदेव
5. रतन
6. मोती
7. सजना पिसरान लाली बाई जाति मेघवंशी निवासीगण धाकडखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.09.2019 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात... कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 29.11.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री विनित अग्रवाल एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.09.2019 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 29.11.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

29.11.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा